फार्म [redacted]

'प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमती एस. मेडा** 2. वर्तमान धारित पद **अवर सचिव**

3. वर्तमान वेतन 19150/– म.भत्ता 33990/– ग्रेड वेतन 6600/– अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2017

उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	डसे किस प्रकार अर्जित किया गया '''खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
म.नं. 39, सुन्दर नगर एक्सटेंशन, सुकलिया, इन्दौर	गृह	–	लगभग 12 लाख 50 हजार	स्वयं के नाम	पति की मृत्यु के पश्चात् कार्यालय से शेष स्वत्वों की राशि एवं बैंक से ऋण प्राप्त कर श्री मण्डलिका सुब्रमण्यम शर्मा से क्रय किया ।	–	–
म.नं. 516, गुलाब बाग कालोनी, ग्राम पिपलिया कुमार, तहसील–इन्दौर जिला–इन्दौर	गृह	–	लगभग 25 लाख	स्वयं के नाम	एल.आई.सी. हाउसिंग फायनेंस, इन्दौर से ऋण लिया गया एवं स्वयं की बचत द्वारा ।	–	–

' जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

'' ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।

' '' इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें ।

हस्ताक्षर [signature] 16-1-17

नाम : श्रीमती एस. मेडा

पद : अवर सचिव
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
इन्दौर – (म0प्र0)